संयुक्त राज्य डिस्ट्रिक्ट न्यायालय में
कैलीफोर्निया के केंद्रीय डिस्ट्रिक्ट के लिए

LUIS JAVIER PEREZ-OLANO, CASA LIBRE YOUTH SHELTER, FREDDY GARRIDO-MARTINEZ, MANUEL GOMEZ, YAN JUN LI, LUIS MIGUEL MORALES, MICHAEL YUBAN OBANDO, MAEJEAN ROBINSON, LUCIA UREY,

वादी गण,

- बनाम् -

ERIC H. HOLDER, JR., संयुक्त राज्य महान्यायवादी, JANET NAPOLITANO, सचिव, संयुक्त राज्य गृह सुरक्षा विभाग (United States Department of Homeland Security), एवं शरणार्थी पुनर्वास कार्यालय (OFFICE OF REFUGEE SETTLEMENT),

प्रतिवादी गण।

केस संख्या CV 05-3604 DDP (RZx)

समझौते के अंतर्गत नोटिस ¶ 48।

(Hindi)

---

DHS या HHS द्वारा वित्तपोषित संघीय सुविधाओं में विदेशी किशोरों को उनके आप्रवास स्तर के कारण दिया जाने वाला नोटिस:

संघीय कानून, 8 U.S.C. §§ 1101(a)(27)(J) और 1255 में कतिपय ऐसे किशोरों के लिए संयुक्त राज्य में कानूनी आवास स्तर के लिए आवेदन करने के तरीके का प्रावधान है, जिनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, जिन्हें बेसहारा छोड़ दिया गया है या जिनकी उपेक्षा हुई है। इस हितलाभ को विशेष आप्रवासी किशोर स्तर (Special Immigrant Juvenile status) कहा जाता है।

यदि संयुक्त राज्य में या विदेश में आपके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, बेसहारा छोड़ दिया गया है या उपेक्षा हुई है तो आप संयुक्त राज्य में विशेष आप्रवासी किशोर के रूप में कानूनी रूप से रहने के पात्र हो सकते हैं। विशेष आप्रवासी किशोर, संघीय सरकार की सहायता के पात्र भी हो सकते हैं जिसमें फॉस्टर केयर और परंपरागत निर्वाह सहायता शामिल है।

इस नोटिस के अलावा, आपको आपके क्षेत्र के उन व्यक्तियों और संगठनों की सूची दी गयी है जो निरूद्ध किए गए आप्रवासियों को मुफ्त कानूनी सहायता की पेशकश करते हैं। आप विशेष आप्रवासी किशोर के स्तर के लिए आवेदन कर सकते हैं या नहीं, इस बारे में अधिक जानकारी के लिए आप इन कानूनी सेवा प्रदाताओं में से किसी से संपर्क करना चाह सकते हैं। ये कानूनी सेवा समूह राज्य न्यायालय के आवश्यक आदेश प्राप्त करने तथा विशेष आप्रवासी किशोर स्तर एवं अन्य हितलाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन करने में भी आपकी सहायता कर

सकते हैं।

यदि आपको विश्वास हो कि आप विशेष आप्रवासी किशोर स्तर के लिए पात्र हो सकते हैं लेकिन आपको आपके क्षेत्र के मुफ्त कानूनी सहायता संगठनों की सूची नहीं दी गयी है या आप उनसे फोन पर संपर्क नहीं कर पा रहे हैं तो आप (213) 388-8693 एक्सटेंशन 302 पर मानवाधिकार और संवैधानिक कानून केंद्र (Center for Human Rights and Constitutional Law) को भी फोन कर सकते हैं। यदि आपकी ईमेल तक पहुंच हो तो आप प्रश्नों सहित निम्नलिखित को ईमेल भेज सकते हैं:

pschey@centerforhumanrights.org तथा crholguin@centerforhumanrights.org